न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 23/2021

प्रार्थी

विष्णु कुमार पुत्र प्रागाराम जी, जाति– रावल, निवासी– झाडोलीवीर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) मोतीराम पुत्र लुम्बा जी, जाति– माली, निवासी– झाडोलीवीर, तहसील–शिवगंज

(2) ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल, प्रार्थी निगरानकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा यह निगरानी आवेदन, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बा जी, जाति– माली, निवासी– झाडोलीवीर के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मोतीराम की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मोतीराम की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर ने पत्र क्रमांकःग्रा.पं.झा./2021/210 दिनांक 05–7–2021 से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां, इस न्यायालय में दिनांक 05–7–2021 को प्रस्तुत की। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ व न ही अप्रार्थी संख्या 2 (दो) उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 16–12–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा ग्राम झाड़ोलीवीर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में नई आबादी क्षेत्र में असल पट्टा संख्या 28, मिसल संख्या 38 सन् 1985–86, दिनांक 05–5–1986 को प्रागाराम पुत्र सांकलाजी, जाति– रावल, निवासी– झाडोलीवीर के हक में जारी किया गया था, जिस पर श्री प्रागारामजी पुत्र सांकलाजी, जाति– रावल, निवासी झाड़ोलीवीर की मृत्यु के बाद प्रार्थी विष्णु कुमार व प्रार्थी विष्णु कुमार का परिवार जिसमें प्रार्थी की माता व भाई–बहिन भी हैं, स्वर्गीय प्रागारामजी के वारिसदारान की हैसियत से बतौर मालिक उत्तराधिकार में प्राप्त उपरोक्त पटटाशुदा सम्पत्ति पर काबिज हैं। प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे मालकी के प्रार्थी के पिता प्रागाराम पुत्र सांकलाजी, जाति– रावल, निवासी झाड़ोलीवीर के नाम से जारी पट्टाशुदा उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का नाप उत्तर–दक्षिण 100 फीट व पूरब व पश्चिम 80 फीट कुल क्षेत्रफल 8000 वर्गफीट है एवं पट्टा अनुसार चतुर्दशी उत्तर में शंकरलाल पूनमाजी सुथार, दक्षिण में केसाराम लुम्बाजी चौधरी, पूरब में रास्ता व दरवाजा दो व पश्चिम में सडक व प्लाट के दो दरवाजा है। उक्त भूखण्ड एव

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय *सिरोही*

आस–पडौस के भूखण्ड का नजरी नक्शा निगरानी आवेदन में अंकित है। प्रार्थी के पिता प्रागारामजी के नाम से जारी शुदा पट्टा दिनांक 05–5–1986 एवं प्रार्थी के अड़ौस पड़ौस के जारी पट्टों से यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय प्रागारामजी के उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के पश्चिम दिशा में सड़क व सार्वजनिक रास्ता हैं, जिसमें प्रागारामजी के भूखण्ड के पट्टानुसार दो दरवाजे भी अंकित हैं, इसी प्रकार श्री शंकर लाल पुत्र पूनमाजी वगैरह के पट्टो से भी स्पष्ट हैं कि प्रार्थी के पिता प्रागारामजी, शंकर लालजी वगैरह एवं उनके समानान्तर भूखण्डों के पश्चिम दिशा में सड़क एवं सार्वजनिक रास्ता हैं, जिसमे उपरोक्त पटटाधारकों के भूखण्डों के लिये आवागमन हेतु रास्ता व प्रस्तावित दरवाजे हैं। तत्कालीन ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा उपरोक्त पुराने पट्टो एवं उनकी चतुर्दशी को अनदेखा कर उपरोक्त पट्टाशुदा भूखण्डों के पश्चिम दिशा में सार्वजनिक सड़क व रास्ता होने के बावजूद प्रार्थी के पिता प्रागारामजी के नाम जारी पट्टा के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित सार्वजनिक सड़क व रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली के नाम से पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 को 75X80, कुल 6000 वर्गफीट क्षेत्रफल का विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया है, जो कि पूर्णतः गलत, एवं अवैधानिक हैं। तत्कालीन ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम के पक्ष में दिनांक 05–11–1988 को जारी किया गया पट्टा सार्वजनिक सड़क व रास्ते की भूमि पर है। प्रार्थी के पुश्तैनी भूखण्ड, जो कि प्रार्थी के पिता प्रागारामजी के नाम से पट्टाशुदा हैं, के आगे पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क, सार्वजनिक रास्ता हैं, जो कि पट्टा के दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौके पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी तत्कालीन ग्राम पंचायत, झाड़ोलीवीर द्वारा पूर्णतः अवैध रूप से पट्टा संख्या 54 को अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली के नाम जारी किया हैं जिससे सड़क व सार्वजनिक रास्ता बंद हो जावेगा तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के वक्त ट्रेक्टर आदि निर्माण सामग्री का परिवहन भी नहीं हो सकेगा व प्रार्थी के पुश्तैनी पट्टाशुदा भूमि पर पट्टा में वर्णित अनुसार उसके भूखण्ड के पश्चिम दिशा के आवागमन के दरवाजे व रास्ते ही बंद हो जायेंगे। प्रार्थी को अपने पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड के आगे पश्चिम दिशा में स्थित सार्वजनिक रास्ते व सड़क की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी नियम विरुद्ध पट्टे की जानकारी तब हुई, जब प्रार्थी ने अप्रार्थी मोतीराम द्वारा किये गये अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र दिया, ताकि प्रार्थी भवन निर्माण कार्य करवा सके। प्रार्थी के पुश्तैनी भूमि के आगे पश्चिम दिशा की ओर सार्वजनिक रास्ते व सड़क की भूमि पर अवैध एवं विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 54, दिनांक 05–11–1988 को ग्राम पंचायत झाड़ोलीवीर द्वारा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बा जी माली, निवासी– झाडोलीवीर के हक में जारी पट्टा विलेख संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मोतीराम के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी मोतीराम के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा जो पट्टा विलेख अपने पिता के नाम होना बताया गया हैं उक्त पट्टा विलेख की कोई मिसल या दस्तावेज पंचायत मे उपलब्ध नहीं है एवं यदि पट्टा विलेख जारी किया भी है तो उक्त पट्टे शुदा भूमि अप्रार्थी मोतीराम की पट्टे शुदा भूमि के पीछे की तरफ अर्थात् पूर्व दिशा में आया हुआ है। यह निगरानी आवेदन, प्रागाराम जी के सभी वारिसान की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण कानूनन सभी वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा जो चतुदर्शी प्रस्तुत की गई वह सर्वथा ही मौके की स्थिति से विपरित है एवं गलत चतुदर्शी अंकित कर गलत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है। जबकि मौके पर नजरी नक्शे में जो प्रागाराम पुत्र सांकलाजी का भूखण्ड होना दर्शाया गया है जिसका

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

मौके पर कोई अस्तित्व ही नहीं है और यदि प्रागाराम पुत्र सांकलाजी का कोई भूखण्ड आया भी है तो वह अप्रार्थी मोतीराम के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा की ओर स्थित है, न की आम रास्ता व मुख्य सड़क पर स्थित है। प्रार्थी के उत्तर दिशा में शंकरलाल पुत्र पुनमाजी का कोई भूखण्ड नहीं आया हैं बल्कि अप्रार्थी मोतीराम के स्वामित्व व पंजीयन शुदा पट्टा विलेख की भूमि आई हुई है जिस पर कच्चा मकान बना हुआ हैं और जिसके पूर्व दिशा में प्रार्थी के पिता का भूखण्ड व पश्चिम दिशा में मुख्य सडक व रास्ता एवं उत्तर में शंकर पुत्र पुनमाजी सुथार का मकान एवं दक्षिण में गमना पुत्र जीवाजी माली का भूखण्ड और उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में केसा पुत्र लुम्बाजी चौधरी का भूखण्ड आया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त नजरी नक्शे के अनुरूप प्रागाराम पुत्र सांकलाजी के भूखण्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि अप्रार्थी मोतीराम का भूखण्ड़ हैं और इसके लगते केसा पुत्र लुम्बाजी का भूखण्ड नहीं होकर गमना पुत्र जीवाजी माली का भूखण्ड है तथा प्रार्थी का भूखण्ड अप्रार्थी मोतीराम के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा की ओर आया हुआ हैं। मुख्य सडक व आम रास्ते पर प्रार्थी का भूखण्ड़ नहीं है, बल्कि आज भी मौके पर अप्रार्थी मोतीराम का भूखण्ड एवं अप्रार्थी मोतीराम के भूखण्ड़ में नीम के व अन्य बडे बडे पेड़ भी खड़े है। प्रार्थी के रास्ते की भूमि प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व दिशा में है जो 10 फीट का रास्ता है। ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम को सार्वजनिक सड़क व रास्ते की भूमि का कोई पट्टा विलेख जारी नहीं किया है, बल्कि हकीकत यह है कि अप्रार्थी मोतीराम के भूखण्ड़ के पश्चिम दिशा में आगे की साईड डामर रोड मुख्य सड़क आया हुआ है एवं अप्रार्थी मोतीराम का दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर स्थित है एवं मौके पर डामर सडक बनी हुई है। अप्रार्थी मोतीराम का पट्टा, पंजीकृत दस्तावेज है एवं मौके की स्थिति के अनुरूप भी पश्चिम दिशा में सड़क व दरवाजा, उत्तर में शंकरलाल पुत्र पुनमाजी सुथार का मकान, दक्षिण में गमना पुत्र जीवाजी माली का भूखण्ड एवं पूर्व में प्रार्थी के पिता प्रागाराम पुत्र सांकलाजी का भूखण्ड़ स्थित है जो अप्रार्थी मोतीराम के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में स्थित गमना पुत्र जीवाजी माली के नाम जारी पट्टा विलेख में अंकित चतुदर्शी में भी उत्तर में मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली का भूखण्ड़ व पूर्व में केसा पुत्र लुम्बाजी चौधरी का भूखण्ड जो पडौसी पट्टा विलेख से भी स्पष्टतया साबित हैं और जिसकी पुष्टि अन्य पट्टा विलेख धारियों के भूखण्ड से भी होती है। प्रार्थी निगरानीकार ने ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी से मिलीभगत कर जोर जबरदस्ती अप्रार्थी मोतीराम के भूखण्ड़ में अवैध रूप से प्रवेश कर उसकी बाड़ को हटाकर अप्रार्थी मोतीराम के बुर्जुग व वृद्ध होने का फायदा उठाकर दिनांक 23–2–2021 को रात्रि में प्रार्थी द्वारा जेसीबी की सहायता से बाड को हटाकर जोर जबरदस्ती प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व दिशा की ओर करीब 11 फीट अन्दर की तरफ व 70 फीट चौडाई में अवैध रूप से नीवं खुदाई कर रातो रात सीमेन्ट की ईटो से बाउण्ड्री वॉल का निर्माण करा दिया। जिस पर अप्रार्थी मोतीराम ने अप्रार्थी मोतीराम के भूखण्ड पर अवैध रूप से अतिक्रमण, निर्मित की गई दीवार को हटाने बाबत् एवं हर्जाना राशि प्राप्ति हेतु एक दीवानी वाद प्रार्थी के विरूद्ध पेश किया है जो अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, शिवगंज के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी मोतीराम द्वारा उक्त सिविल वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थी ने अप्रार्थी मोतीराम को हैरान परेशान करने की नियत से पट्टा जारी होने के करीब 33 वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी–

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

झाडोलीवीर के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 6000 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 को जारी किया गया है एवं इस पट्टे में अंकित नाप पूर्व–पश्चिम 80 फीट व उत्तर–दक्षिण 75 फीट है तथा पट्टे में अंकित चतुर्दशी पूर्व दिशा में प्रागा पुत्र सांकला रावल, पश्चिम में सड़क व दरवाजा, उत्तर में शंकर पुत्र पुनमाजी सुथार व दक्षिण में गमना पुत्र जीवाजी माली का भूखण्ड़ होना दर्शाया है। जबकि ग्राम पंचायत झाडोलीवीर द्वारा प्रागाराम पुत्र सांकला जी रावल, निवासी– झाडोलीवीर (प्रार्थी के पिता) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 05–5–1986 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व की तरफ 10 फीट का रास्ता व प्लॉट में दरवाजा दो, पश्चिम की तरफ सडक व प्लॉट में दो दरवाजें, उत्तर की तरफ शंकरलाल पुत्र पूनमाजी सुथार का प्लॉट व दक्षिण की तरफ केसाराम पुत्र लुम्बाजी चौधरी का प्लॉट दर्शाया हुआ है।

इसी तरह, प्रार्थी के पिता प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल, निवासी– झाडोलीवीर के उक्त पट्टा संख्या 28 दिनांक 05–5–1986 में उत्तर दिशा में अंकित शंकरलाल पुत्र पूनमाजी सुथार, निवासी– झाडोलीवीर के प्लॉट के पट्टा संख्या 26 दिनांक 05–5–1986 में अंकित चतुर्दशी में भी पश्चिम दिशा में सड़क व प्लोट में दो दरवाजें, उत्तर दिशा में वीसाराम पुत्र पूनमाजी सुथार का प्लॉट एवं दक्षिण दिशा में प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल का प्लॉट दर्शाया हुआ है। इसी तरह, वीसाराम पुत्र पूनमाजी सुथार, निवासी– झाडोलीवीर के प्लॉट के पट्टा संख्या 25 दिनांक 05–5–1986 मे अंकित चतुर्दशी में भी पश्चिम दिशा में सड़क व प्लोट में दो दरवाजें दर्शाये है व दक्षिण दिशा की तरफ शंकरलाल पुत्र पूनामाजी सुथार का प्लॉट दर्शाया हुआ है। प्रार्थी के पिता प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल, निवासी– झाडोलीवीर के उक्त पट्टा संख्या 28 दिनांक 05–5–1986 में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में स्थित केसाराम पुत्र लुम्बाजी चौधरी के प्लॉट के पट्टा संख्या 31 दिनांक 05–5–1986 में भी पश्चिम दिशा में सडक, रास्ता व प्लॉट के दो दरवाजे व उत्तर दिशा में प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल (प्रार्थी के पिता) का प्लॉट दर्शाया है।

उक्त चारो पट्टा संख्या 28, 26, 25 व 31 दिनांक 05–5–1986 को ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा एक ही दिन जारी किये गये है जो अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली के पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 से पहले जारी किये हुये है तथा उक्त चारों पट्टा संख्या 28, 26, 25 व 31 से संबंधित भूखण्ड़ आपस में एक–दूसरे के भूखण्ड़ से लगते हुए समानान्तर एक ही लाईन में स्थित है, जो निगरानी आवेदन में अंकित नजरी नक्शें से स्पष्ट है। साथ ही, यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त चारों पट्टा संख्या 28, 26, 25 व 31 दिनांक 05–5–1986 में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में सड़क व प्लॉट में दरवाजे दर्शाये हुये है, लेकिन अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर के पक्ष में ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा बाद में जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व दिशा में प्रागा पुत्र सांकलाजी रावल का भूखण्ड दर्शाया है। जबकि प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल के नाम से जारी उक्त पट्टा संख्या 28 दिनांक 05–5–1986 में तथा उक्त पट्टा संख्या 26, 25 व 31 दिनांक 05–5–1986 में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में सड़क व प्लोट में दो दरवाजें दर्शायें हुये है।

इस प्रकार, उक्त चारों पट्टा संख्या 28, 26, 25 व 31 दिनांक 05–5–1986 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल, निवासी– झाडोलीवीर (प्रार्थी के पिता) के पट्टा संख्या 28 दिनांक 05–5–1986 की चतुर्दशी में पश्चिम दिशा की तरफ अंकित सड़क व रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर के पक्ष में पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय *सिरोही*

में, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बा जी माली, निवासी– झाडोलीवीर के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 में से रास्ते की सीमा तक की भूमि के पट्टे को निरस्त करते हुए शेष भूमि का पट्टा यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 में से रास्ते की सीमा तक की भूमि (जो प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल, निवासी– झाडोलीवीर के पट्टा संख्या 28 दिनांक 05–5–1986 की चतुर्दशी में पश्चिम दिशा की तरफ अंकित है) का पट्टा निरस्त किया जाता है एवं शेष भूमि का पट्टा यथावत बहाल रखा जाता है। साथ ही, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर के उक्त पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 में से रास्ते की सीमा तक निरस्त पट्टा भूमि का मौके पर नाप जोख कर तदनुसार उक्त पट्टा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 में व पंचायत रेकर्ड में इन्द्राज करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *